विज्ञापन संख्या – 05/डी0आर0/सेवा–02/2011–12

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवक्ता (लेक्चरर) श्रेणी 'ख', के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 23 अप्रैल, 2012

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 22 मार्च, 2012

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवक्ताओं (लेक्चरर) के निम्नानुसार वर्णित रिक्त पदों के लिए विज्ञापन के अन्त में 'परिशिष्ट–1' में मुद्रित प्रारूप पर ही मोटे फुल स्केप कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। **पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**

01. राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवक्ताओं (लेक्चरर) के रिक्त पद– 198

क्र.सं0	पद का नाम	अनुसूचित जाति	अनु0जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल पद
01.	प्रवक्ता मैकेनिकल	02	01	01	09	13
02.	प्रवक्ता CE/CSE/PGDCA	04	00	03	13	20
03.	प्रवक्ता इलैक्ट्रानिक्स	05	02	03	26	36
04.	प्रवक्ता विद्युत	02	01	03	06	12
05.	प्रवक्ता आई0टी0	04	01	05	14	24
06.	प्रवक्ता सिविल	04	00	02	10	16
07.	प्रवक्ता ऑटोमोबाईल	02	00	00	04	06
08.	प्रवक्ता कैमिकल	00	00	00	04	04
09.	प्रवक्ता इन्टीरियर डिज़ाइन एण्ड डैकोरेशन	00	00	00	02	02
10.	कर्मशाला अधीक्षक	02	00	00	02	04
11.	प्रवक्ता भौतिकी	03	01	03	13	20
12.	प्रवक्ता रसायन	01	00	01	10	12
13.	प्रवक्ता गणित	02	01	01	14	18
14.	प्रवक्ता अंग्रेजी	03	00	02	06	11
कुल योग		**34**	**07**	**24**	**133**	**198**

02. वेतनमान :– ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400/–

03. पद का स्वरूप :– राजपत्रित (श्रेणी 'ख')/अंशदायी पेंशन युक्त/निरन्तर चलते रहने की संभावना।

04. (क) आयु सीमा :–21 से 40 वर्ष।

नोट : आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को विज्ञापन के बिन्दु संख्या– 08 के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।

(ख) आयु सीमा की गणना के लिये नियत तिथि– 01 जुलाई, 2012

महत्त्वपूर्ण निर्देश

अवश्य पढ़े एवं तद्नुसार कार्यवाही करें :–

1. अभ्यर्थी अपने उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन परम्परागत आवेदन पत्र के **कॉलम– 10** में अवश्य करें। आवेदन पत्र पर आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा एस.एल.पी.(सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग की सन्निरीक्षा नियमावली के अनुरूप संपादित की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 23 अप्रैल, 2012 तक**

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव (यदि लागू हो) अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव (यदि लागू हो) से संबन्धित समस्त सेमेस्टर/वर्षों के अंक पत्र/प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. अभ्यर्थी परम्परागत आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

4. अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

5. निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. **अभ्यर्थी विज्ञापन के बिन्दु संख्या–11 एवं 13 में उल्लिखित निर्देशों का पालन अवश्य करें।**

7. आवेदन पत्र के कॉलम–15 में अभ्यर्थी द्वारा यदि प्राप्तांकों की गणना ग्रेड में हो तो अंकतालिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अंकों (प्रतिशत) को दर्शाना अनिवार्य है, ग्रेड गणना को प्रतिशत में परिवर्तन करने हेतु लागू फॉर्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

8. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण संबंधी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 10 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

9. **आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी व आयु आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

10. पदों के विवरण से संबंधित कॉलम के क्रमांक– 10 पर उल्लिखित **'कर्मशाला अधीक्षक'** पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उक्त पद हेतु वांछित अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र **परिशिष्ट– 02** में उपलब्ध प्रारूप पर ही प्रस्तुत करें। उक्त प्रारूप से इतर प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. आवेदन पत्र में यथास्थान अभ्यर्थी हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान अवश्य लगायें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

05. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

05. (i) पदों के विवरण से सम्बन्धित बिन्दु संख्या– 01 के क्रमांक सं0– 01 से 09 तक उल्लिखित पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत हैं–

1. अभियंत्रण/प्राविधिकी के सम्बन्धित विषय में 55 प्रतिशत अंको के साथ उपाधि या ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया)।
2. हिन्दी का ज्ञान।

टिप्पणी : 1. जहां सम्बन्धित विषय में मूल उपाधि नहीं दी जाती है या जहां ऐसी उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां वैकल्पिक या विशेष विषय के रूप में संबन्धित विषय के साथ मूल स्नातक उपाधि पर विचार किया जायेगा।

2. सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।

अधिमानी अर्हता :–

1. सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
2. एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव।

टिप्पणी : केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा।

05. (ii) पदों के विवरण से सम्बन्धित बिन्दु संख्या– 01 के क्रमांक सं0– 10 पर उल्लिखित कर्मशाला अधीक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत हैं–

अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं–

1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष अर्हता और उत्पादन या अनुरक्षण में दो वर्ष का औद्योगिक अनुभव।

या

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष अर्हता और उत्पादन या अनुरक्षण में आठ वर्ष का औद्योगिक अनुभव।

टिप्पणी : केवल सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का औद्योगिक अनुभव ही स्वीकार किया जायेगा।

अधिमानी अर्हताएं –

1. सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव एवं हिन्दी का ज्ञान।

05. (iii) पदों के विवरण से सम्बन्धित बिन्दु संख्या– 01 के क्रमांक सं0– 11 से 14 तक उल्लिखित पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत हैं–

अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं –

1. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
2. हिन्दी का ज्ञान।

अधिमानी अर्हता– बी0एड0 या समकक्ष अर्हता।

नोट : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

1. प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या**
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

06. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश :–

(1.) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(2.) राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो। परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

07. वैवाहिक प्रास्थिति :–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवत हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनको यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

08. उच्चतम आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु उच्चतम आयु सीमा में छूट निम्नवत् होगीः–

श्रेणी/उपश्रेणी	शासनादेश संख्या व दिनांक	अधिकतम आयु में छूट
उ0 अनुसूचित जाति	1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005	05 वर्ष
उ0 अनुसूचित जनजाति	1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005	05 वर्ष
उ0 अ0पि0व0	1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005	05 वर्ष
उ0 शारीरिक रूप से निःशक्त	1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005	05 वर्ष
उ0 डी0एफ0एफ0	1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005	05 वर्ष
उ0 भूतपूर्व सैनिक	17/2/1981–कार्मिक–2, दि0 28 फरवरी, 1985	05 वर्ष
उ0 कुशल खिलाड़ी	22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985	05 वर्ष
उ0 राज्य	1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004,	अधिकतम आयु

आन्दोलनकारी	776/XX(4)26/उ0आन्दो0/2006–08, दिनांक 22.10.2008, 637/XX (4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13.08.2010, 1739/बीस–4/2011–26/उ0आ0/2006, दिनांक 05.08.2011, **तथा** 2963/XX (4)–3(26)/2006, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011	सीमा 50 वर्ष

टिप्पणी :–

1.– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

2.– आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

09. आरक्षण :–

(1.) आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा तथा ऊर्ध्वाधर आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। आरक्षण संबंधी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के प्रारुप का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(2.) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(3.) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

10. आवेदन कैसे करें :–

अभ्यर्थी इस विज्ञापन के 'परिशिष्ट–1' में निर्दिष्ट परम्परागत आवेदन पत्र को टंकित अथवा मुद्रित कराकर आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भों को पूर्ण करते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 249404" को किसी भी माध्यम से (बैरंग माध्यम को छोड़कर) प्रेषित कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर स्वयं भी जमा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को सायं 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये किसी विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य होने चाहिये अन्यथा अनुमन्य लाभ/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा :–

निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियॉ :–

1. हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंकपत्र/प्रमाण पत्र।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिका एवं डिग्री।
3. (क) आवेदित पद हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं एवं वांछित अनुभव (यदि लागू हो) की पुष्टि हेतु समस्त अंकपत्र एवं डिग्री/प्रमाण पत्र।
   (ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट।
   (ग) फार्मेट पर चिपका हुआ एक स्वसत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।
   (घ) आवेदन पत्र के कॉलम 10 में दावित किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0/ तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र।

12. शुल्क : प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन–पत्र के साथ परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹130/– (₹ 100/– परीक्षा शुल्क + ₹ 30/– डाक शुल्क) है। किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये ₹ 90/– (₹ 60/– परीक्षा शुल्क + ₹30/– डाक शुल्क) है। उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला व उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क उनकी श्रेणी के आरक्षित वर्ग के समतुल्य है। **शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा प्रेषित जो "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को हरिद्वार में देय हो"** स्वीकार किया जायेगा। **अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, तथा पता अवश्य लिखें।** अन्य किसी प्रकार से

जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश :–

(1.) आवेदन पत्र के साथ 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे जिस पर पद का नाम (विषय सहित) तथा विज्ञापन संख्या अंकित हो तथा पूरा पता लिखा हो, भेजे जाने चाहिए। **(अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर डाक टिकट चस्पा न करें)**

(2.) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(3.) विज्ञापन के फलस्वरूप विषयवार अधिक आवेदन पत्र आने पर स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जा सकती है जिसके प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।

(4.) स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्रों की सूचना समाचार पत्रों तथा आयोग के वेबसाईट के माध्यम से अभ्यर्थियों को यथा समय सूचित किया जायेगा।

(5.) मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता साक्षात्कार के समय जाँच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहाँ उन्होंने शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के 02 फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(6.) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(7.) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अतः वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(8.) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(9.) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाए कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(10.) किसी अनाचार अथवा कदाचार का दोषी पाये जाने पर आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(11.) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(12.) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के संबन्धित कॉलम में पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें।

(13.) अभ्यर्थी अलग–अलग पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करें।

(14.) लोक सेवा आयोग परिसर में अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन/संचार तंत्र का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव।

परिशिष्ट–1

आवेदन पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 23 अप्रैल, 2012

नोट : सभी प्रविष्टियों को अंग्रेजी अंकों में ही भरें।

आवेदन शुल्क का विवरण (**मूल भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें**)

बैंक ड्राफ्ट का नम्बर एवं जारी करने की तिथि	बैंक का नाम स्थान/जिला सहित	धनराशि	कार्यालय की टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**

1. विज्ञापन संख्या .....
2. पद का नाम .....
1. आवेदित पद का विषय .....
4. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
   (1) हिन्दी में .....
   (2) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में).....
5. पिता/पति का नाम श्री.....
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....

केवल वक्ष तक की एक नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वयं यहॉ पर चिपका दें और तिथि सहित अपना हस्ताक्षर भी करें।

वर्ष		माह		दिन	

(प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति भी संलग्न करें)

7. आयु 01 जुलाई, वर्ष, 2012 को–

वर्ष		माह		दिन	

8. क्या आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक आप आवेदित पद के लिए पूर्ण अर्हता रखते हैं?
   हॉ/नहीं.....
9. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी है ? हॉ/नही

10 यदि "हॉ" तो आरक्षण की जिस श्रेणी का लाभ चाहते हैं, नीचे दिये गये बॉक्स (Box) में ✓ का निशान लगायें (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के दावे की पुष्टि में नवीनतम शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

अ. आरक्षण की श्रेणी जिसका लाभ चाहते हैं (स्पष्ट उल्लेख करें):– .....

ब. आरक्षण की श्रेणी जिसका लाभ चाहते हैं :–कृपया ✓ का निशान लगायें

उत्तराखण्ड अनु0जा0	उत्तराखण्ड अ0ज0जा0	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा	उत्तराखण्ड स्व0सं0से0	उत्तराखण्ड विकलांग* (अंधापन / बधिर / शारीरिक–निशक्तता)	उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित /पूर्व सैनिक

उत्तराखण्ड महिला	उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी	उत्तराखण्ड राज्य आंदो0के आश्रित

* विकलांग अभ्यर्थी अपनी विकलांगता से संबन्धित श्रेणी को ही चिन्हित (✓) करें। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में आरक्षण हेतु किये गये दावों की पुष्टि में सभी प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होगें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (नोट :– आरक्षण संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों का प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।)

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) लिखें ....

12. स्थाई पता –..

....

....

....पिन कोड..

(ख) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता –..

....

....

....पिन कोड..

(पता परिवर्तन होने की सूचना तत्काल दें)

(ग) फोन नं0.. मोबाइल नं0..

13. क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debar) किए गए हैं? यदि हाँ, तो कारण एवं अवधि का उल्लेख करें?..

14. क्या अभ्यर्थी ने अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड तथा अपना पता लिखे हुए 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे संलग्न किये हैं।
उत्तर हां या नहीं में अंकित करें ....

15. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण :–

परीक्षा	बोर्ड/वि0वि0	वर्ष	विषय	श्रेणी	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	संस्था का नाम
1. हाईस्कूल							
2. इण्टरमीडिएट							
3. स्नातक							
4. स्नातकोत्तर							
5. बी0एड0							
6. अन्य							

नोट : **(1)** सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) यदि गणना ग्रेड में हो तो अंकतालिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अंकों (प्रतिशत) को दर्शाना अनिवार्य है।

16. शोध कार्य एवं अन्य विवरण (यदि कोई हो) :–

17. आवेदित पद हेतु अधिमानी अर्हताओं संबंधित अन्य विवरण (यदि कोई हो) अभ्यर्थी अपने दावे के सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरण दें.....

18. अनिवार्य/अधिमानी अनुभव का विवरण (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन के 'परिशिष्ट–02' के अनुसार अभ्यर्थी अपना अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें) :–

पदनाम	वेतनमान	सेवावधि (प्रारम्भ से अब तक)	कुल अनुभव	संस्था का नाम (सरकारी/गैर सरकारी)	अन्य

घोषणा

1. मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं। यह मुझे मान्य है और मैं वह शर्तें पूरी करता/करती हूँ ।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं और मैने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाई गई या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया गया तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।
3. मै राज्य सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक .....को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

संलग्नकों की संख्या –

1. अंकों में .....
   शब्दों में .....

अंगूठे का निशान
(पुरूष अभ्यर्थी बायें अंगूठे एवं महिला अभ्यर्थी दांये अंगूठे का निशान लगायें)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान न लगाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा)

2 विवरण.....

दिनांक .....
स्थान .....

Logo of Officer (If available)

Experience Certificate

Name of Deptt./Officer :.....
Address of Dept./Officer:.....
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust :.....
Telephone No. :.....
Website :.....

Ref. No. :-

This is certify that Shri/Smt./Km. ..... Son/Daughter/Wife of shri..... is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent – Regular/Temporary/Part-time/contract/Visiting faculty/Daily wages/Honorary,etc.	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust.

Sign.....
Date : (Name & Signature of Authorized Signatory in Capital letters)

Place :
Name & Signature of Candidate : Designation with seal

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
मुहर :
पदनाम .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर .... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिये प्रमाण–पत्र

(केवल शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4) 26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर .... जिला ..... **शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4)26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित् है।**

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिये प्रमाण–पत्र
(केवल शास0 सं0–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला **शास0 सं0–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अनुसार 07 दिन से अधिक अवधि तक जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्री.....पुत्र श्री.....के एक आश्रित हैं।**

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या.. तारीख...

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री...आयु.. लिंग...पहचान चिन्ह..निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल)– दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए)– दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)– दोनों टाँगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल)– एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए)– एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच)– पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू)– मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि–

(i) बी– अंधता

(ii) पी बी– आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना–

(i) डी– बधिर

(ii) पी डी– आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।.....वर्षों. .....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *****

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत..... है।

4. श्री /श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

(डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

***** जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री . ..... निवासी ग्राम .....तहसील ..... नगर . ..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम.....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी .....
(सील) .....

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4

फार्म–1

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री ..... से दिनांक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ....क्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूनामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पद .....
संस्था का नाम .....
.....
मुहर .....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ..... राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री ..... निवासी .....(पूरा पता)..... .....ने दिनांक..... से दिनांक ..... तक .... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान)..... .....आयोजित राष्ट्रीय .....में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र .....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पद .....
संस्था का नाम .....
.....
मुहर .....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की और से अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....विश्वविद्यालय की कक्षा .....(स्थान का नाम) में आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय .....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान/मेडल प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद ....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम .....
संस्था का नाम.....
मुहर .....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्ड .....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .. ..निवासी (पूरा पता).....में ....स्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .....स्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम .....
संस्था का नाम.....
मुहर .....

<u>नोटः–</u> यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाईरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।